मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 14-13/2020/41-2 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला-समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदेश में अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्यों को कक्षा 9 वीं में अध्यनरत छात्र/छात्राओं के समग्र आईडी में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः 1. प्रमुख सचिव, वि.एवं प्रौघो. विभाग का पत्र क्र. F-14-13/2020/41-2 दिनांक 09.09.2022
2. मा.शि.म. का पत्र क्र.3171/परीक्षा समन्वय/2023, दिनांक 08/09/2023 व पत्र क्र.3049/ प.स./ 2023, दिनांक 28/06/2023

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा संदर्भित आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं के छात्र/छात्राओं की नामांकन प्रक्रिया समग्र आईडी के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रक्रियान्तर्गत समग्र आईडी पर ईकेवायसी सत्यापन एवं छात्र/छात्राओं के समग्र में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है : –

1. ईकेवायसी अनुरोध के सत्यापन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव/GRS एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के साथ अब मा.शि.म. द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल के प्राचार्यों को भी अधिकृत किया जाता है।
2. अधिकृत हाई स्कूल के प्राचार्य "समग्र मोबाईल एप्प" (एंड्रॉइड मोबाईल फोन) के माध्यम से लॉगिन कर निम्न कार्यवाही कर सकेंगे -
   i) समस्त प्राचार्यो को लॉगिन आईडी दी जाएगी। प्राचार्यों के लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उनके मा.शि.म. में पंजीकृत मोबाईल नं. पर SMS के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे।
   ii) लॉगिन के पश्चात प्राचार्यों को अपनी स्वयं की समग्र आईडी पर ई-केवायसी प्रक्रिया करना अनिवार्य होगी।
   iii) ईकेवायसी पश्चात प्राचार्य द्वारा स्वयं की प्रोफ़ाइल अपडेट की जानी होगी (नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, उनके समग्र से प्रदर्शित होगा, जबकि अन्य जानकारी जैसे ईमेल आईडी, मोबाईल नंबर, शाला का टेलीफोन नंबर, पदनाम आदि जानकारी प्राचार्य द्वारा प्रोफाइल में अपडेट की जानी होगी)।
3. प्राचार्यों द्वारा केवल अपने जिले के आयु सीमा 13 वर्ष से 16 वर्ष के छात्र/छात्राओं की समग्र आईडी में संशोधन करने की अनुमति होगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैं –
   i) प्राचार्य छात्र/छात्राओं की समग्र आईडी पर ई-केवायसी किए जाने हेतु अधिकृत होंगे।
   ii) प्राचार्य द्वारा ई-केवायसी अनुरोध का सत्यापन किया जा सकेगा।
   iii) प्राचार्य द्वारा छात्र/छात्राओं के नाम, जन्म दिनांक, जेंडर में संशोधन ई-केवायसी के माध्यम से किया जा सकता है।

iv) माता एवं पिता के नामों का अद्यतन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा -

a. यदि माता एवं पिता की समग्र आईडी उपलब्ध है तो संबंधित समग्र को दी गई एप्प पर प्रविष्ट कर अद्यतन किया जा सकेगा ।

b. माता अथवा पिता की समग्र आईडी ना होने की स्थिति में उनके आधार/ अन्य उपलब्ध डेटाबेस के अनुसार अद्यतन किया जा सकेगा।

c. उपरोक्त बिन्दु (b) के अनुसार आधार/अन्य उपलब्ध डेटाबेस में भी जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा माता अथवा पिता का नाम स्कूल में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर माता एवं पिता का नाम प्रविष्ट किया जा सकेगा।

d. माता/पिता की नवीन समग्र आईडी बनवाने हेतु संबंधित अभिभावक को उनके ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय जाना होगा ।

v) जाति प्रमाण पत्र एवं दिनांक प्रविष्ट करने के बाद e-Dist. पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से मिलान करवाया जा सकेगा। तत्पश्चात नाम, जाति प्रमाणित हो जाएगी ।

उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात छात्र/छात्राओं की कक्षा 9 वीं की एनरोलमेंट प्रक्रिया आगे की जा सकेगी। समग्र मोबाईल एप्प पर प्रक्रिया के दिशा निर्देश संलग्न Annexure -1 अनुसार है ।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 14-13/2020/41-2 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.शासन
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन
3. सचिव, मा.शि.म., म.प्र.शासन
4. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र.शासन
5. प्रबंध संचालक, एमपीएसईडीसी, भोपाल
6. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला, म.प्र.

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

Annexure -1

Government of Madhya Pradesh

SINGLE CITIZEN DATABASE

USER MANUAL
School Login on Samagra Mobile App

September 2023

Developed by

Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation

Background

This document provides stepwise directions for data updation of citizen information on the Samagra platform required for enrollment of 9th class students.

Prerequisite for Data Updation:

- Samagra ID of Student
- EKYC verification of Samagra ID
- Valid Caste certificate (for caste/category update)

Services Offered

Each school will be provided a login for carrying out the operations for the high school's students only. The school login module can carry out the following activities:

- Samagra ID update:
    - EKYC Verification
    - Name (via EKYC)
    - DOB (via EKYC)
    - Gender (via EKYC)
    - Father Name
    - Mother Name
    - Caste/Category
- Request Approval:
    - EKYC verification requests

Note:

1. Schools can update Samagra ID for the representative students only
2. Only students under between the ages of 14-18 can update their Samagra information using the principal logins

1. प्रिंसिपल प्रोफाइल अद्यतन:

1

"विभागीय लॉगिन" बटन पर क्लिक करें

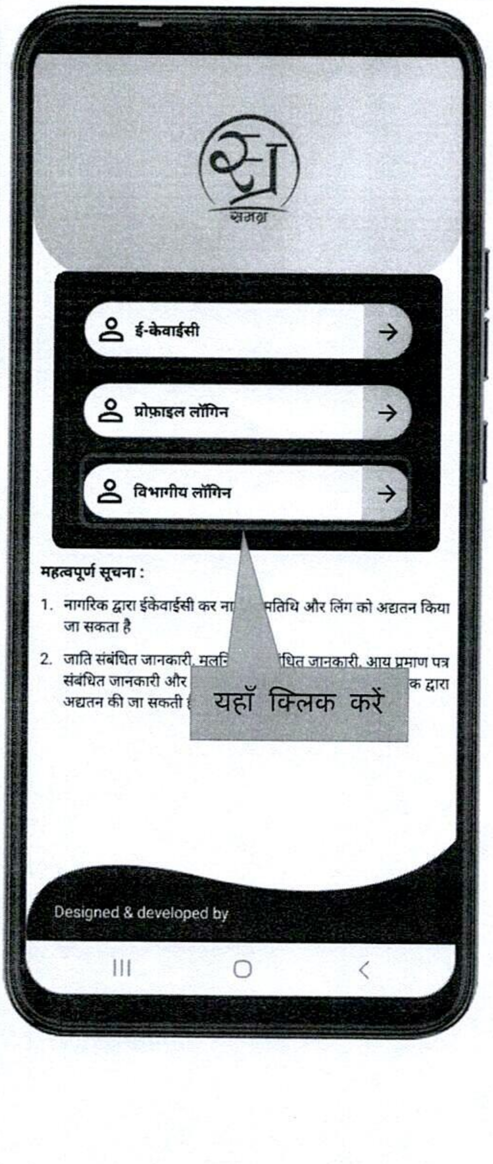

2

a. Username दर्ज करें
b. पासवर्ड दर्ज करें
c. सही कैप्चा कोड भरें
d. लॉगिन बटन पर क्लिक करें

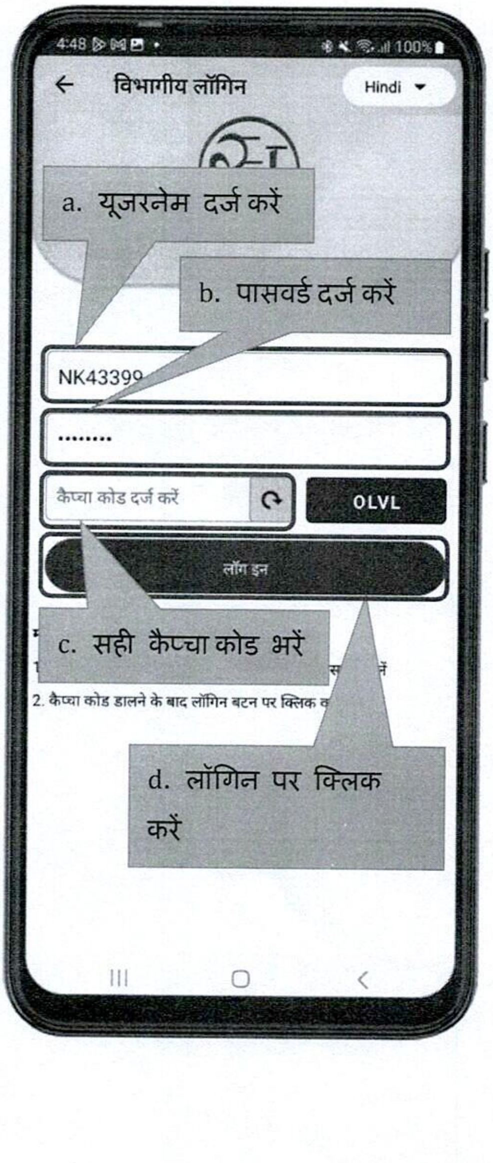

3

प्रिंसिपल की समग्र ID दर्ज करें

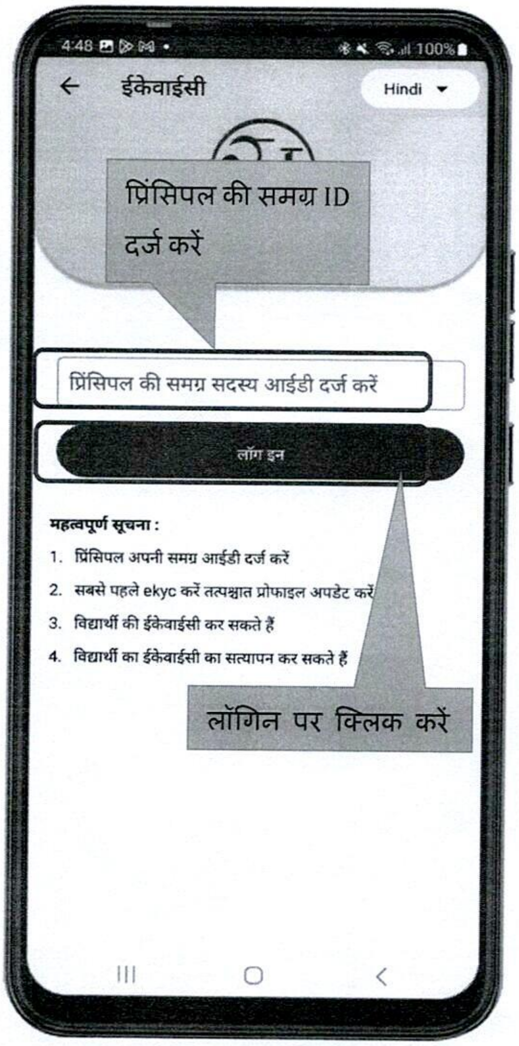

4

प्रिंसिपल की पूछी गयी जानकारी पूर्णतः भरें

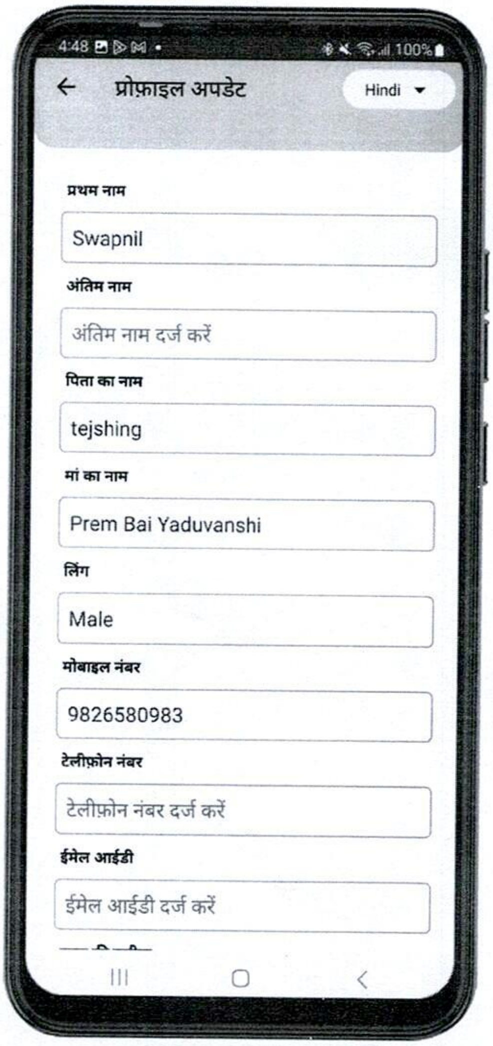

2.विद्यार्थी का ई-केवाईसी करें

1

"**विद्यार्थी का ई – केवाईसी करें**" ऑप्शन पर क्लिक करें

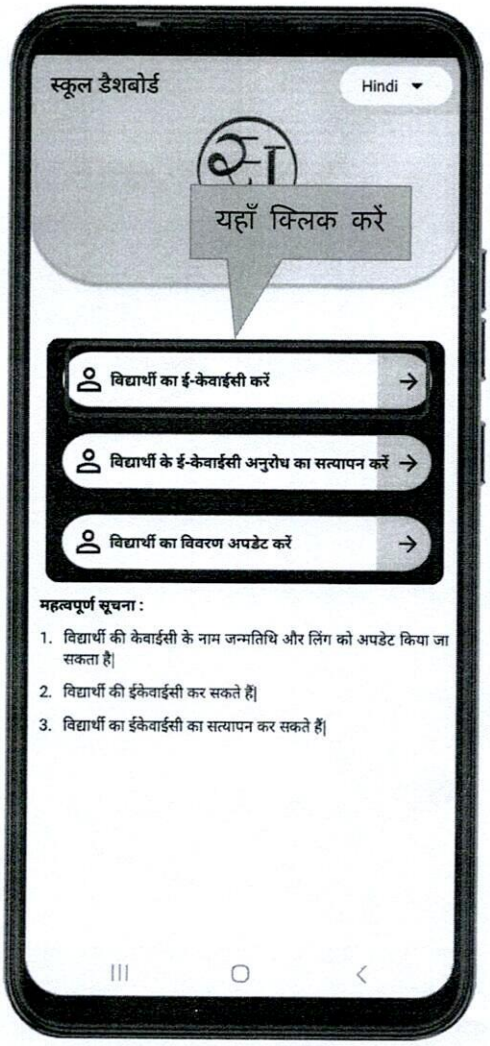

2

a. विद्यार्थी का समग्र आई डी दर्ज करें

b. सही कैप्चा कोड भरें

c. सबमिट बटन पर क्लिक करें

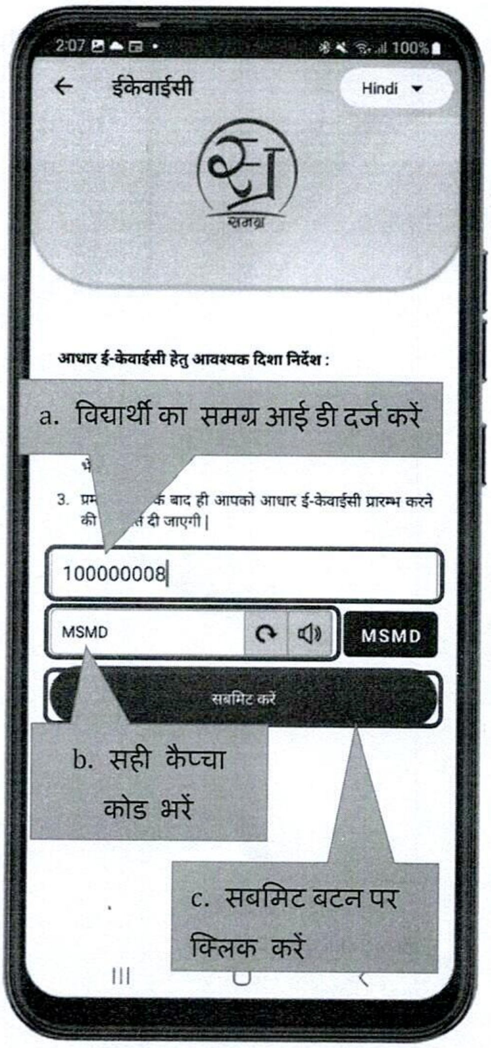

3

a. आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करें

b. ओटीपी या बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करें

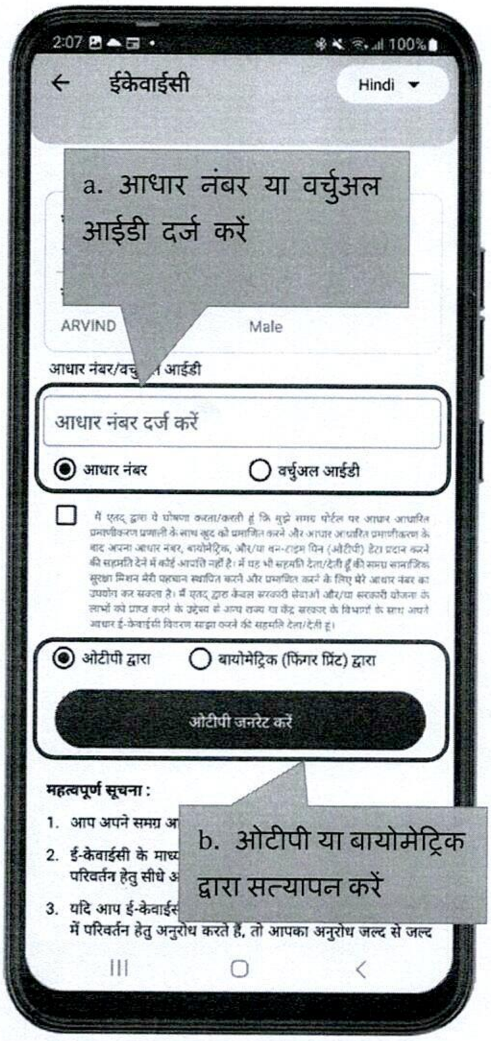

4

ओटीपी का चयन करने पर, ओटीपी प्रविष्ट कर ई- केवाईसी सत्यापन करें

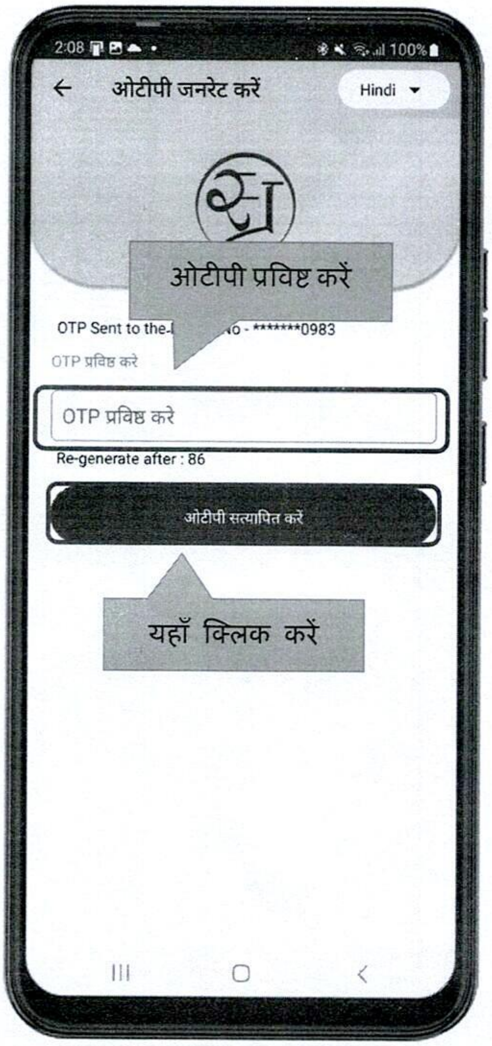

5

a. आधार से समग्र में नाम, जन्म तिथि और जेंडर अपडेट करने के लिए बॉक्स को टिक करें

b. आधार से मिली जानकारी से ई-केवाईसी का अनुरोध दर्ज करें

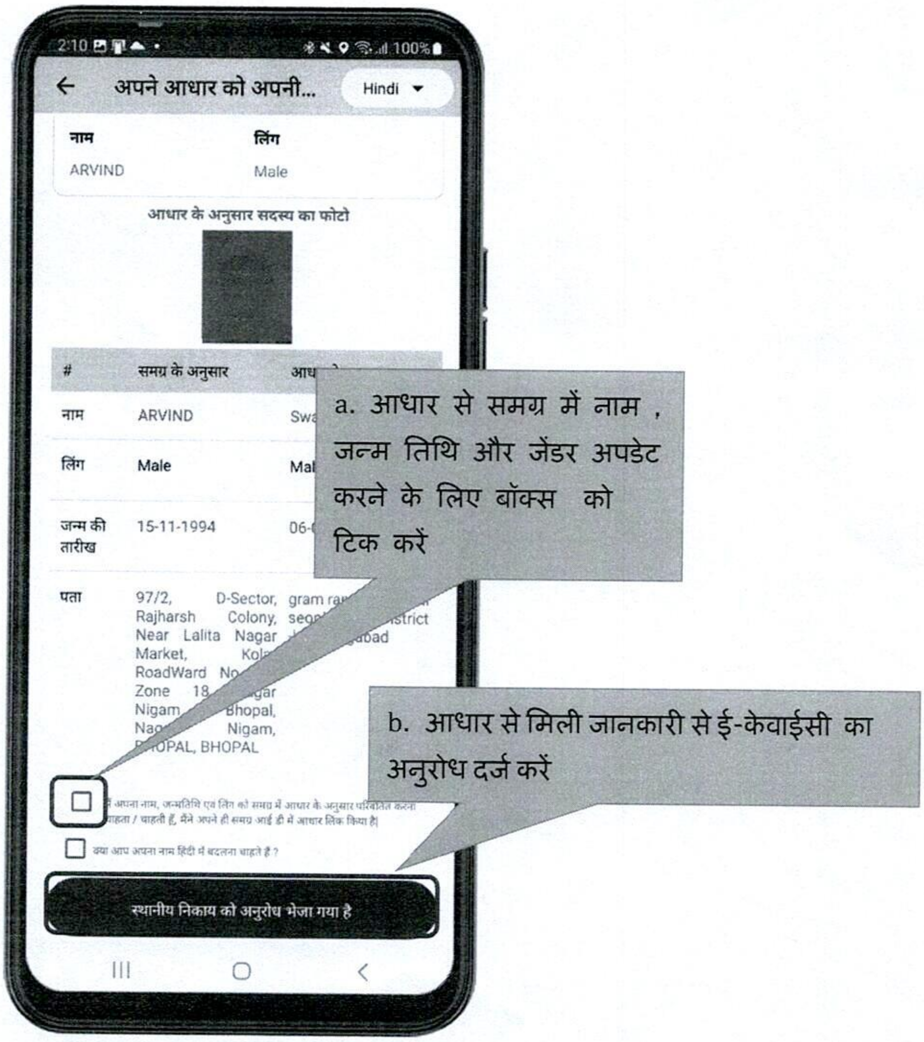

3. विद्यार्थी की ई-केवाईसी का अनुरोध सत्यापन

1

"**विद्यार्थी का ई - केवाईसी करें**" ऑप्शन को चुनें

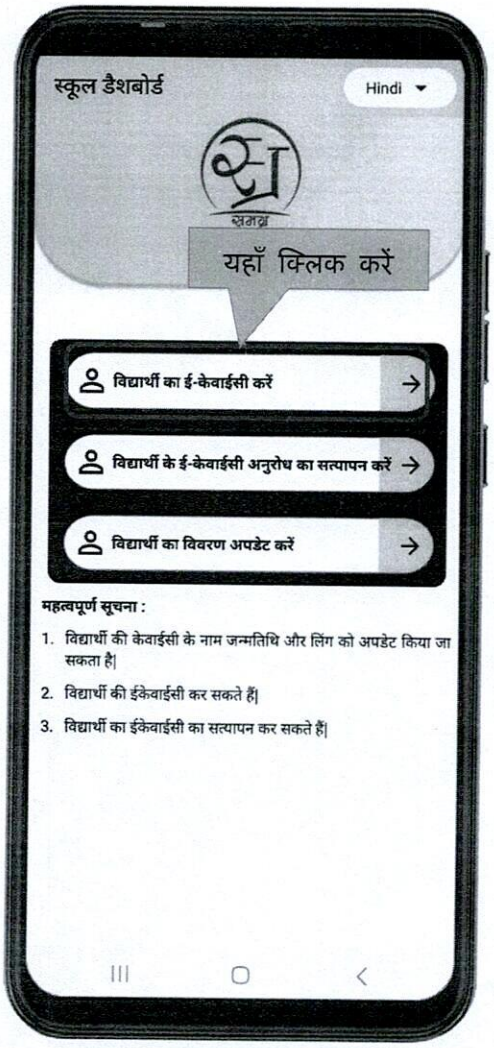

2

a. विद्यार्थी का समग्र आई डी दर्ज करें

b. सही कैप्चा कोड भरें

c. लॉगिन बटन पर क्लिक करें

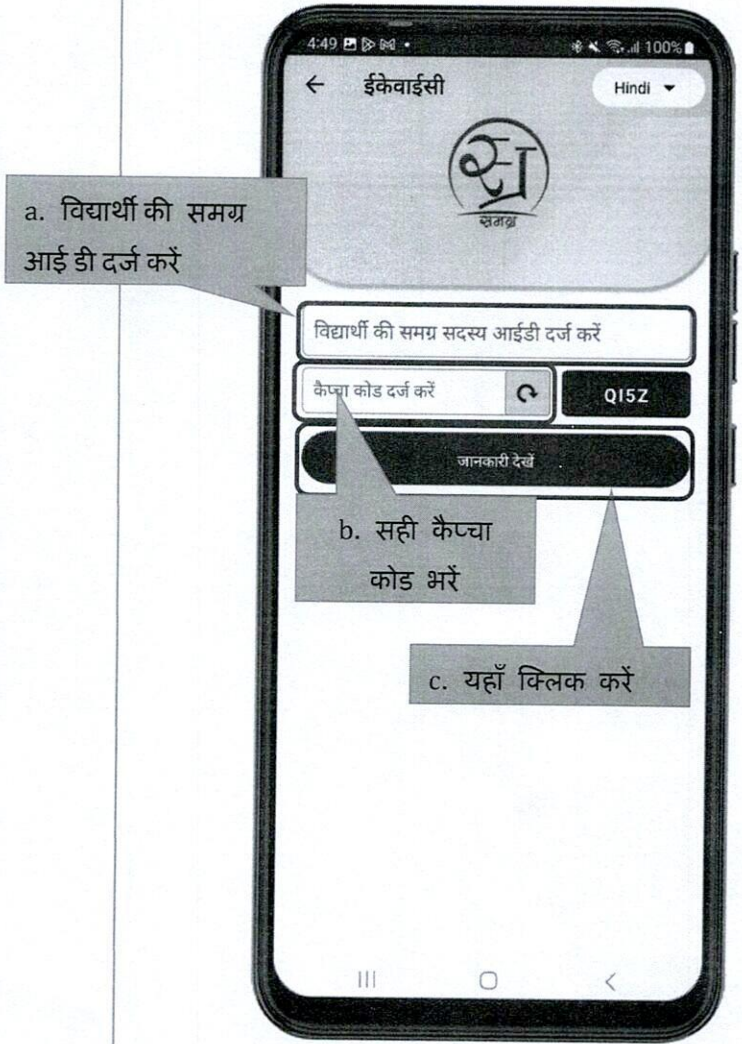

3

जानकारी मिलने पर रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट करें

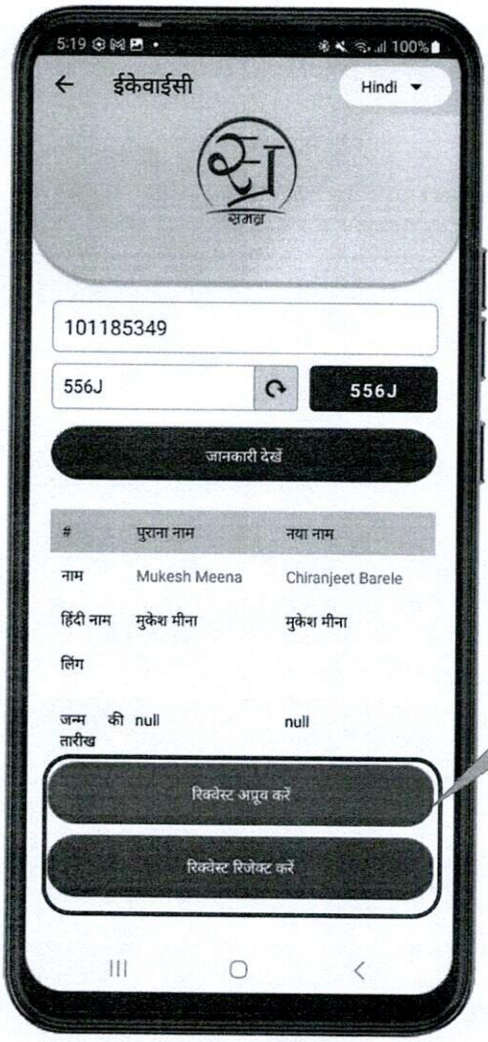

रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट करें

4. विद्यार्थी की जाति अघतन करें

1

"विद्यार्थी का विवरण अपडेट करें"पर क्लिक करें

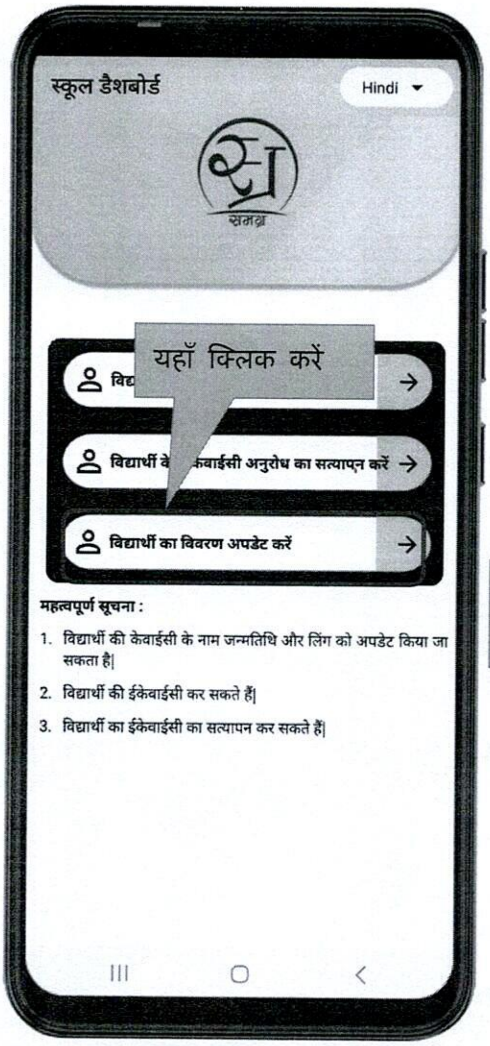

2

a. विद्यार्थी की समग्र आई डी दर्ज करें

b. सही कैप्चा कोड भरें

c. लॉगिन बटन पर क्लिक करें

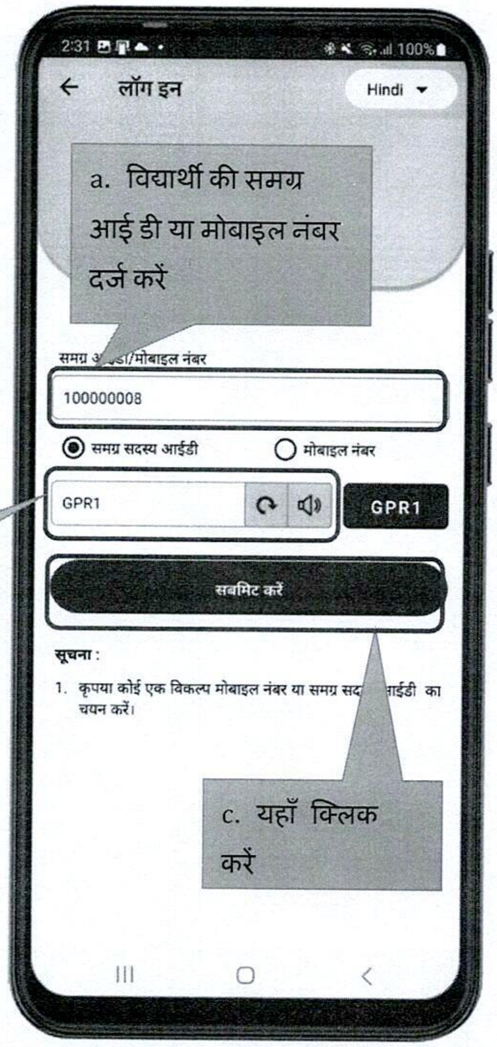

b. सही कैप्चा कोड भरें

3

OTP प्रविष्ट करें

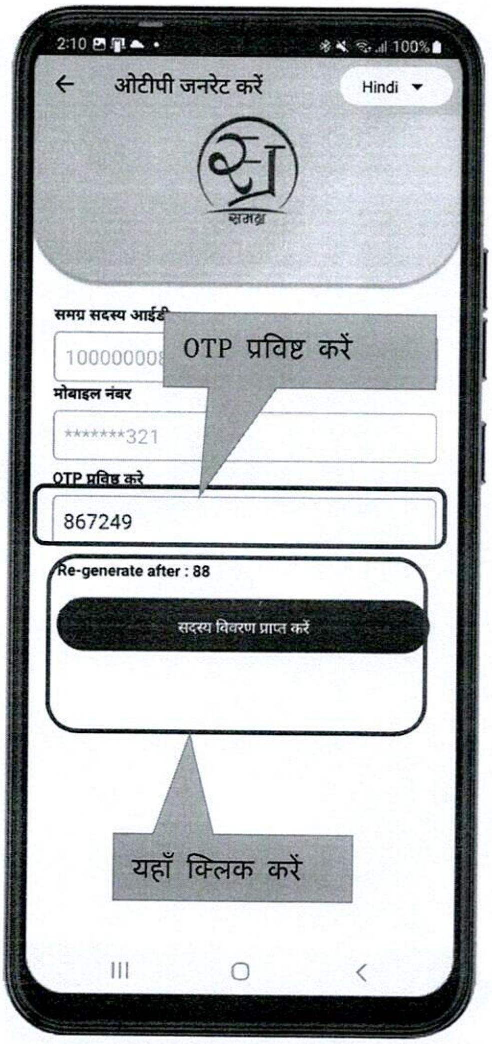

4

"जानकारी अपडेट करें" पर क्लिक करें

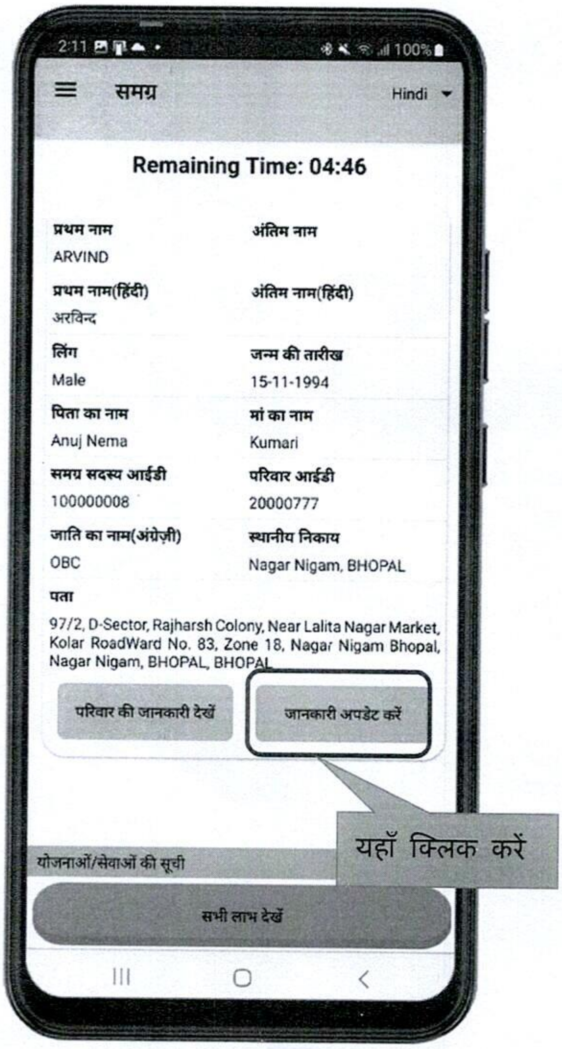

5

"जाति अपडेट करें" पर यहाँ क्लिक करें

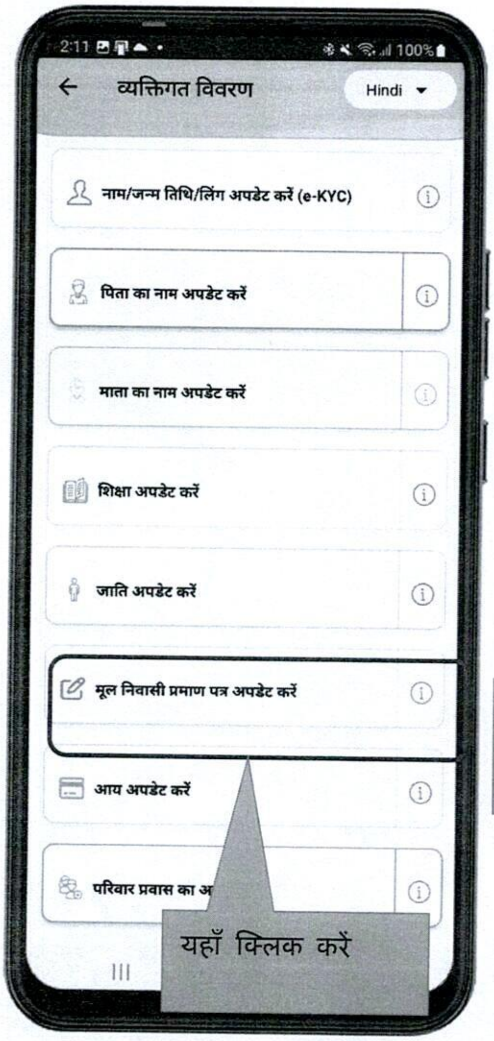

6

a. जाति प्रमाण पत्र के पंजीयन क्रमांक को दर्ज करें

b. प्रमाण पत्र जारी दिनांक प्रविष्ट करें

c. सही कैप्चा कोड भरें

d. "जानकारी संगृहीत करें" पर टैप करें

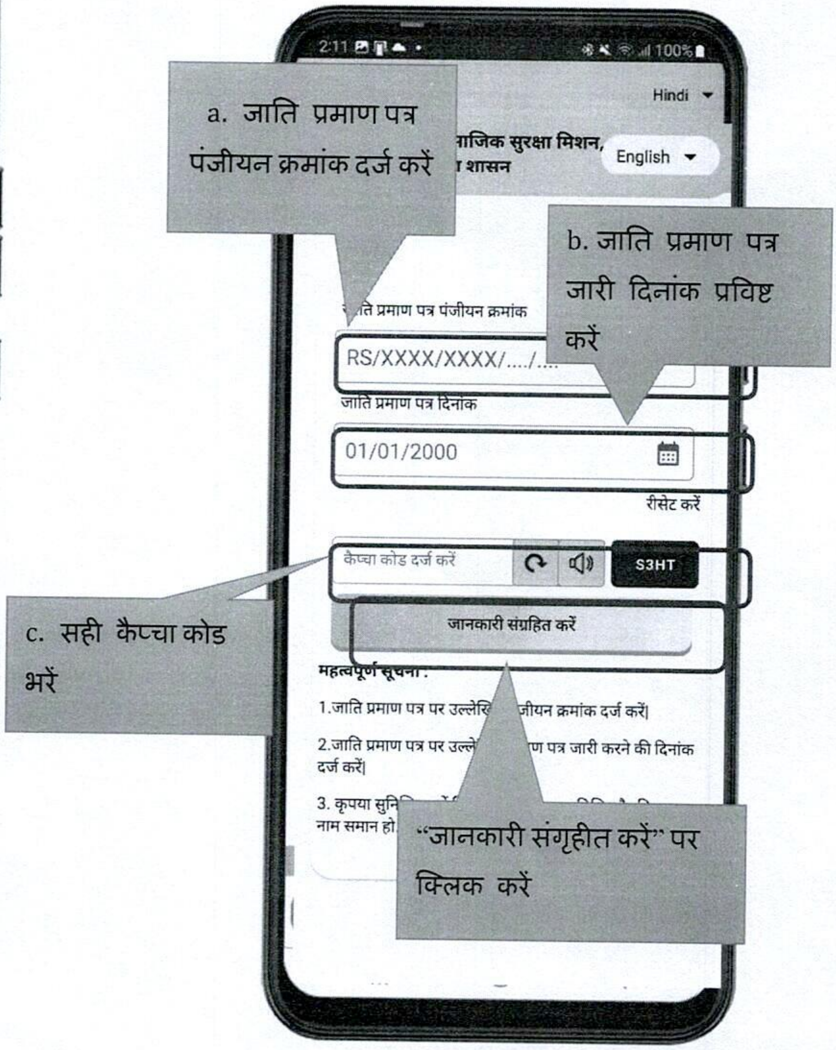

5. विद्यार्थी के माता या पिता का नाम अद्यतन करें

1

"विद्यार्थी का विवरण अपडेट करें " पर क्लिक करें

2

a. विद्यार्थी की समग्र आई डी दर्ज करें

b. सही कैप्चा कोड भरें

c. "सबमिट करें"बटन पर क्लिक करें

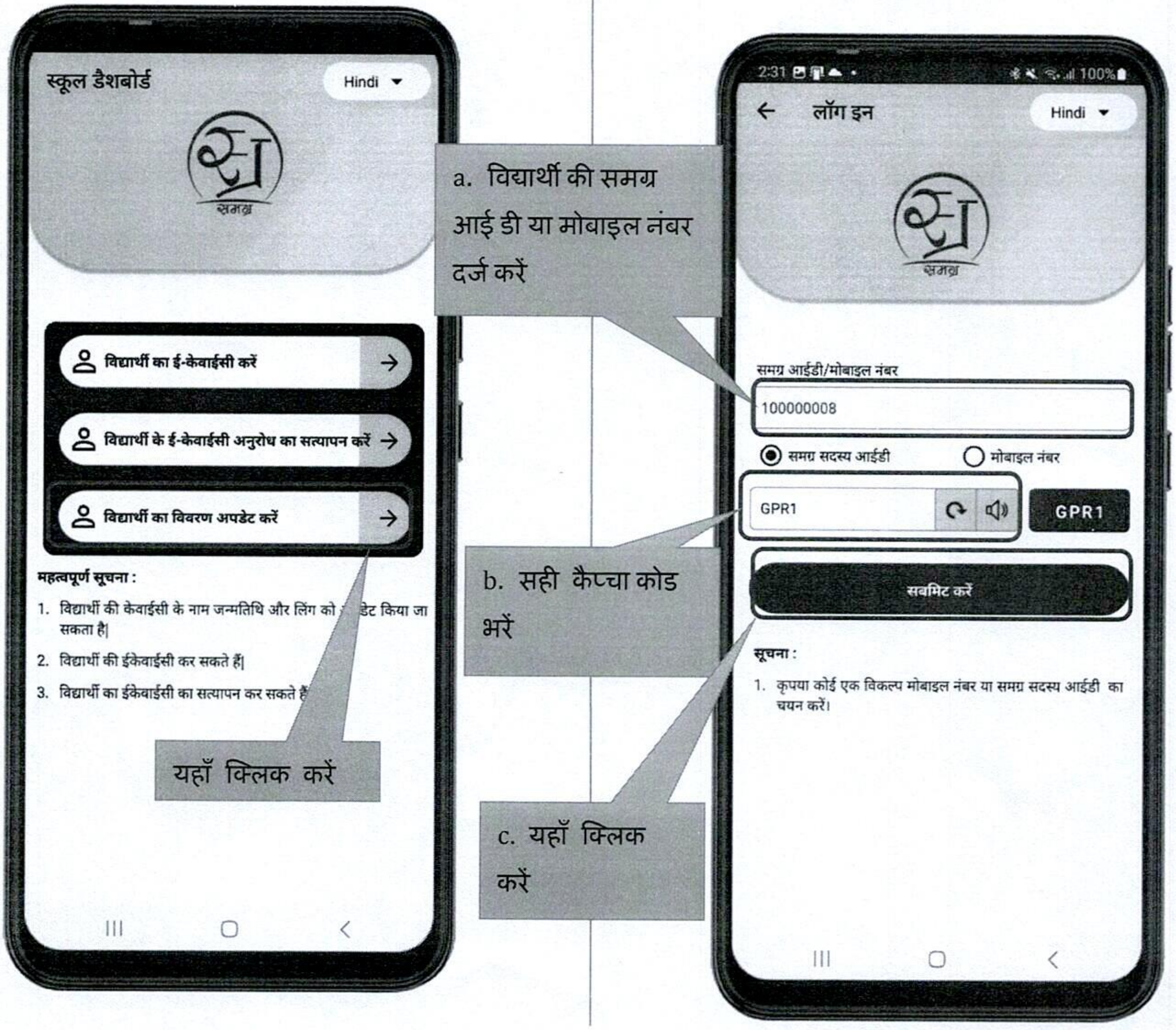

3

OTP प्रविष्ट करें

4

"जानकारी अपडेट करें" पर क्लिक करें

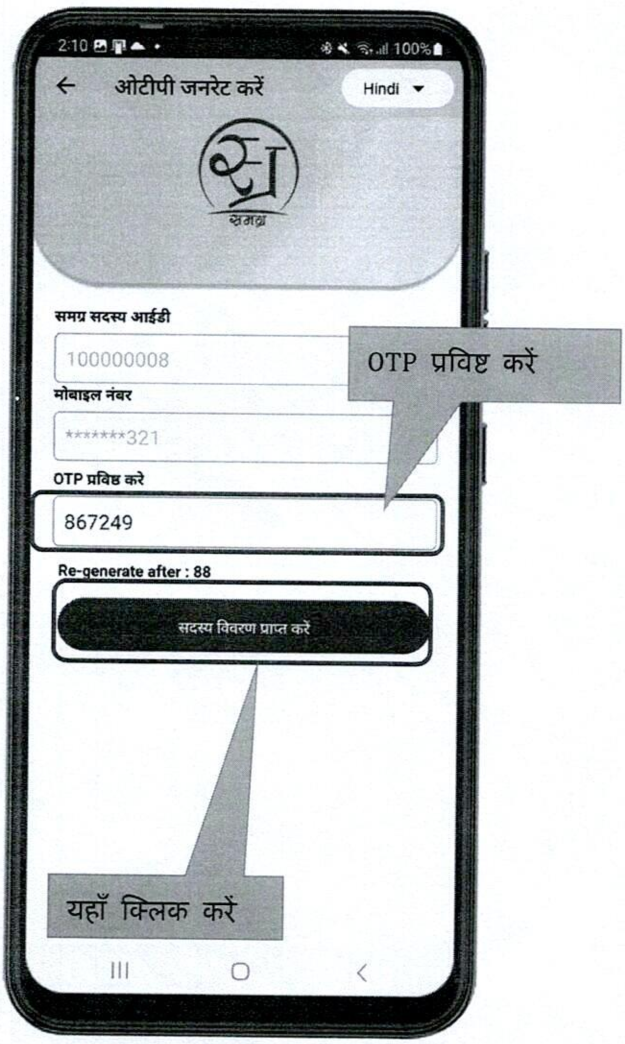

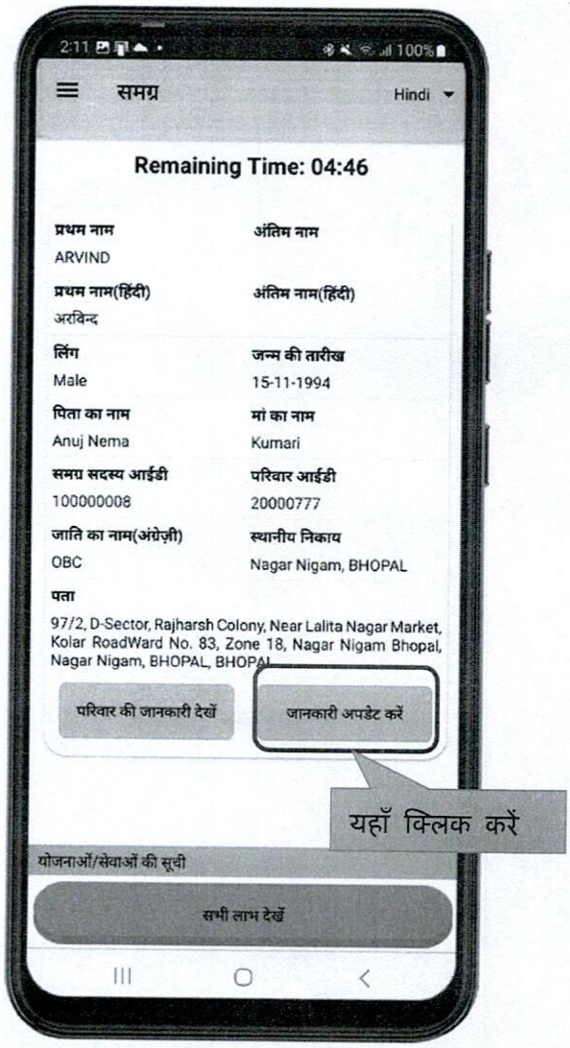

5

माता या पिता का नाम अद्यतन करने के लिए सही ऑप्शन चुनें

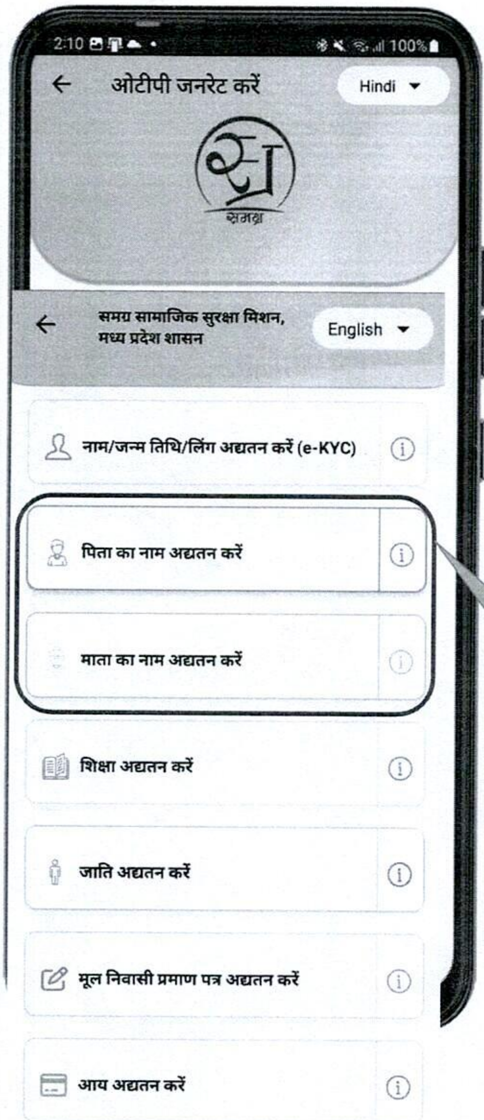

कोई एक विकल्प चुनें

6

माता/पिता की उपलब्ध समग्र ID अंकित करें

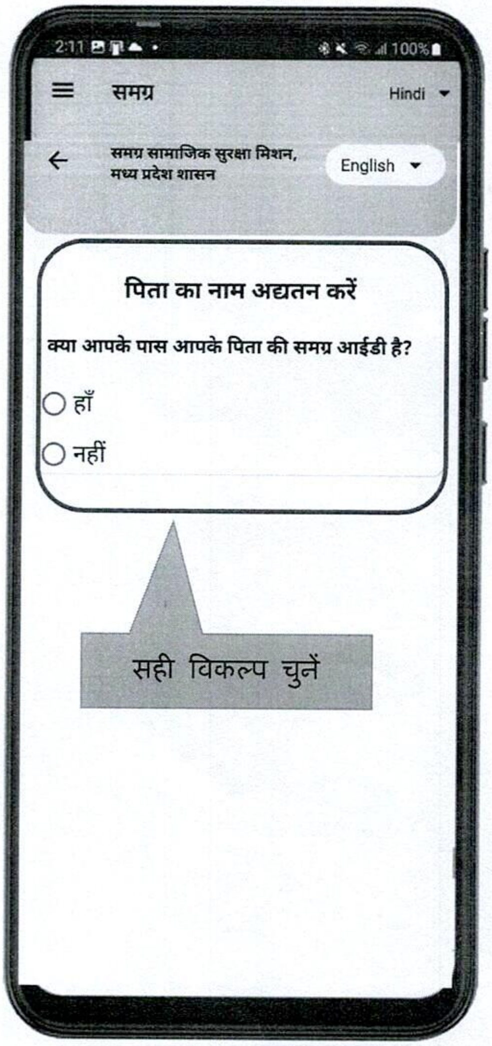

सही विकल्प चुनें

6.i

a. सदस्य की समग्र ID दर्ज करें

b. समग्र ID से जानकारी खोजें

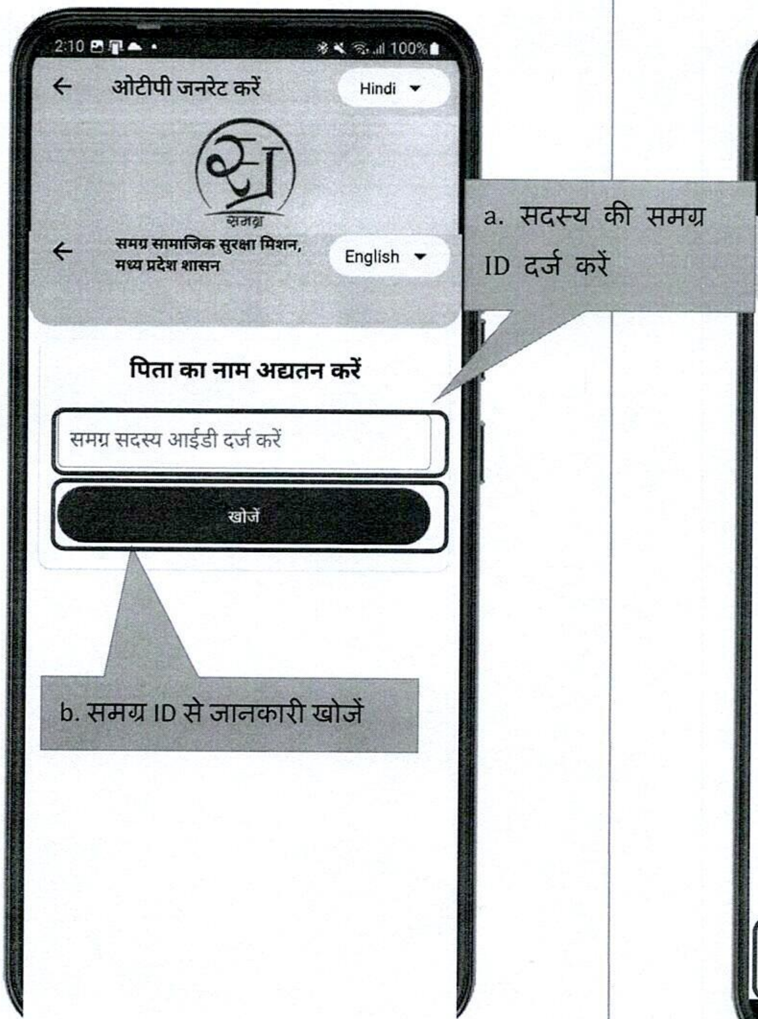

6.ii

उचित जानकारी प्राप्त होने पर नाम अद्यतन करने का अनुरोध करें

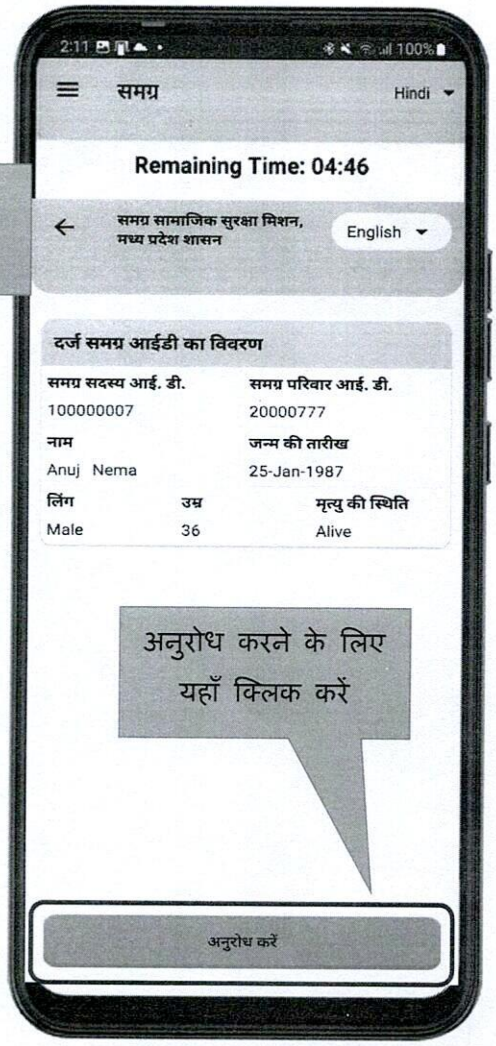

7

माता/पिता की समग्र ID उपलब्ध न होने पर, समग्र परिवार के सदस्यों में से माता/पिता का चयन करें

8

माता/पिता का नाम समग्र परिवार सूची में न होने पर, आधार अभिभावक की सूची से चयन करें

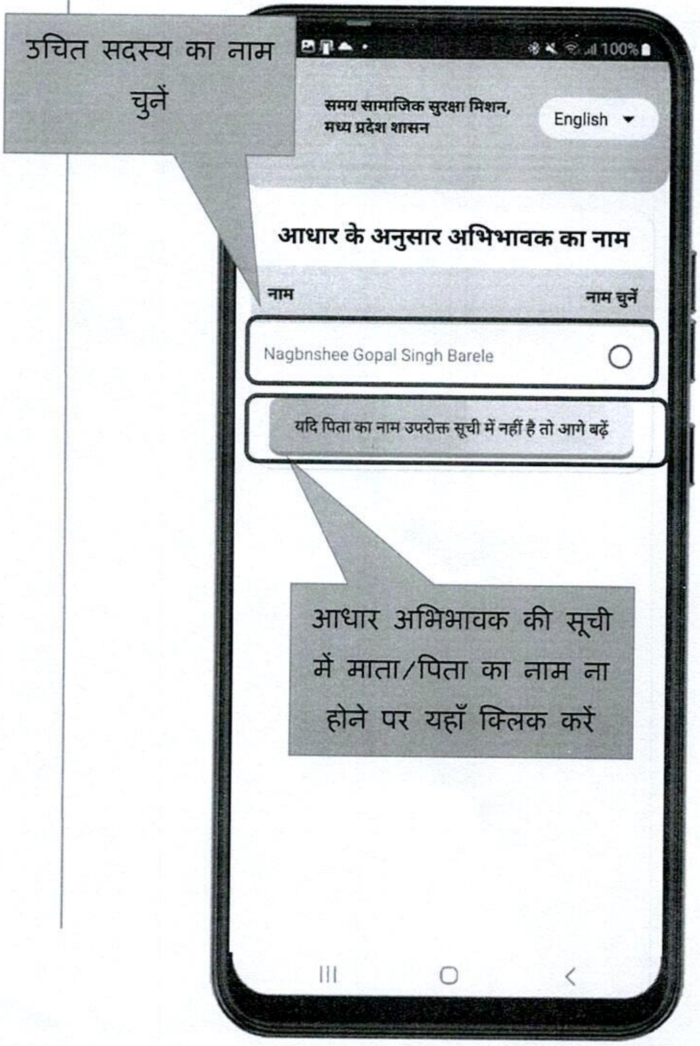

9

आधार अभिभावक की सूची में नाम प्राप्त न होने पर, अन्य डेटाबेस में उपलब्ध नामों में से माता/पिता के नाम का चयन करें

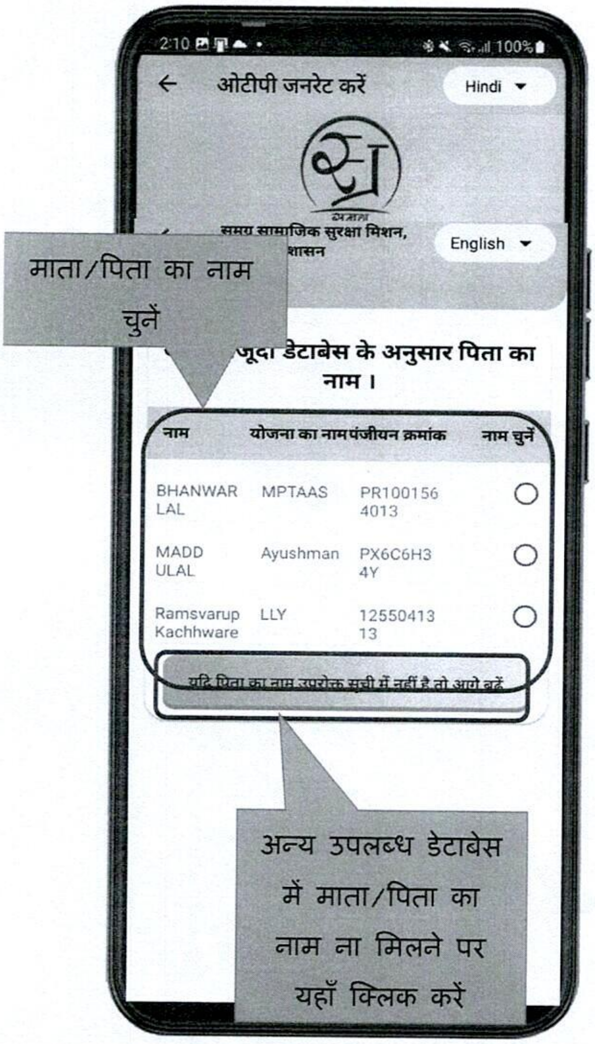

10

अन्य दिए गए विकल्पों में से नाम प्राप्त न होने पर -

a. अपने माता/पिता का नाम बॉक्स में दर्ज करें

b. सही कैप्चा कोड प्रविष्ट करें

c. "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करें